

अभिनिर्णय आदेश

1. वाद संख्या : 40/2014-15
2. ग्राम : देवरार भटमई
3. परगना व तहसील : बरौंसा, जयसिंहपुर
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 0.4835हे0
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232
(टांडा-रायबरेली सेक्शन) के 36.000
कि०मी० से 78.000 कि०मी०
चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र है : हां।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
रायबरेली।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2934(अ)
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना
प्रकाशन का दिनांक : भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 19.12.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. दैनिक जागरण,
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार : दिनांक 22.01.2013
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक : 2. इण्डियन एक्सप्रेस,
दिनांक 22.01.2013
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.2417(अ)
की उपधारा (1) के अन्तर्गत : भारत का राजपत्र असाधारण,
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि : भाग II- खण्ड 3-उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 07.08.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1. अमर उजाला
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय : दिनांक 07.09.2013
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि : 2. टाइम्स ऑफ इण्डिया
दिनांक 07.09.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक 24.02.2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०) | 30,76,500.00 |
| 2 | परिसम्पत्तियों का प्रतिकर | |
| | वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०) | ----- |
| | निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०) | 14,85,689.00 |
| | हैण्डपम्प, कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु०) | 15,750.00 |
| | योग (रु०) | 45,77,939.00 |
| | 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०) | 4,57,794.00 |
| | सम्पूर्ण योग (रु०) | 50,35,733.00 |

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) :रु० 5,03,573.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना) :रु० 14.44 × 40 = 577.60 रु०
या 578 रूपये
(रु० पाँचसौ अठहत्तर मात्र)

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि०मी० से 78.000 कि०मी० (टांडा-रायबरेली सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के **ग्राम-देवरार भटमई, परगना बरौंसा व तहसील जयसिंहपुर** में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक **19.12.2012** तथा दो समाचार पत्रों 'दैनिक जागरण' एवं 'इण्डियन एक्सप्रेस' में दिनांक **22 जनवरी 2013** को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-देवरार भटमई के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत सत्तावन आपत्तियाँ प्राप्त हुईं जिनका निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्रांक **91/आठ-उप० भू० अ० अ०** दिनांक **28/05/2013** द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में **0.4835** हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 07.08.2013 को प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3Gके अन्तर्गत प्रतिकर से सम्बन्धित दावों को प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों 'अमर उजाला', एवं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', में दिनांक 07.09.2013 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम—देवरार भटमई,परगनाबरौसा व तहसील जयसिंहपुर, जनपद—सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232के (36.000 कि०मी०से 78.000 कि०मी० तक)(टांडा—रायबरेली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि 0.4835हे०में से 0.4395हे० निजी कृषिक भूमिहै, एवं 0.0440हे० ग्राम सभा की भूमि है। निजी कृषिक भूमि का ही प्रतिकर निर्धारण किया जायेगा। जिसके अनुसार क्षेत्रफल 0.4395हे० भूमि ही अभिनिर्णय घोषित किये जाने योग्य है। अर्जित की जाने वाली भूमि कृषिक है जिसपर खेती की जा रही है।अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर जो भी सम्पत्तियाँ सर्वे के बाद प्राप्त करायी गई हैं, से सम्बन्धित विवरण परियोजना निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। परियोजना निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि संख्या—248, 247, 245, 239, 237, 339, 332, 318 एवं 321 पर निर्माण प्रदर्शित किया गया है। ग्राम की गाटा संख्या—238, 269 व 267 पर भी निर्माण प्रदर्शित किया गया है किन्तु राजस्व अभिलेखों में यह भूमि आँव सभा खाते की भूमि है, जिसका मूल्यांकन इस स्तर पर नहीं किया जाना है, केवल अर्जित निजी भूमि का ही प्रतिकर निर्धारण किया जाना है। गाँव सभा भूमि क्षेत्रफल 0.0440हे०पर अर्जन निकाय द्वारा अलग से पुर्नग्रहण की कार्यवाहीकरायी जायेगी।

अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा,3(A)के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 22/01/2013 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक जयसिंहपुर के कार्यालय से श्री मुनीर ख़ाँ अमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रायबरेली द्वारा संकलित कराया गया है जिसकी जाँच भूमि अध्याप्ति कार्यालय के अमीन श्री सत्यनारायण दुबे द्वारा की गयी है। इस निर्धारित अवधि में कुल अट्टारहविक्रय पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे अनुसूची—2 में सूचीबद्ध किया गया है।

अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य परकिया जाना है,अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। तैयार अनुसूची—2 में उल्लिखितअट्टारहविक्रय पत्रोंका अंकन देखा गया जो पत्रावली में संलग्न है।क्रमांक—3, 6, 7, 8, 11, 13, 16 एवं 18 पर अंकित विक्रय विलेखआवासीय/व्यावसायिक प्रदर्शित किये गये हैं, जिसे प्रतिकर निर्धारण हेतु उचित नहीं पाया जाता है। क्रमांक—17 पर अंकित विक्रय विलेख दिनांकित 06.08.2012 विक्रेता

श्री राम अनुज पुत्र नैपाल बहक केती श्रीमती निमरा देवी पत्नी दशरथ गाटा संख्या-160 क्षेत्रफल-0.0875 बमालियती रू0 34,28,571.00 रुपये की सर्वाधिक मूल्यांकन दर का पाया जाता है। इस बैनामें को कृषिक दिखाया गया है। वर्ष 2013 की कलेक्टर सुलतानपुर द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार प्रारूप-4 पर राष्ट्रीय मार्ग पर कृषिक भूमि की दर रू0 7,000/- प्रति 0.001हे0 अर्थात् 70,00,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, मूल्यांकन सूची शामिल पत्रावली है। चूंकि दोनों दरों में कलेक्टर की मूल्यांकन दर सर्वाधिक दर के उपरोक्त बैनामें से काफी अधिक है। अतः कलेक्टर सुलतानपुर की मूल्यांकन सूची के अनुसार कृषकों के व्यापक हित में ग्राम देवरा भटमईके रेट रू0 70,00,000.00(रुपये सत्तर लाख) प्रति हे0 की दर से निजी भूमि 0.4395हे0 का प्रतिकर निर्धारित किया जाता है।

निर्धारित दर के आधार पर अर्जित कृषिक भूमि 0.4395हे0 की प्रगणना निम्नवत् है:-

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रू0) | 30,76,500.00 |
| 2 | परिसम्पत्तियों का प्रतिकर | |
| | वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रू0) | ----- |
| | निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रू0) | 14,85,689.00 |
| | हैण्डपम्प, कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रू0) | 15,750.00 |
| | योग (रू0) | 45,77,939.00 |
| | 10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रू0) | 4,57,794.00 |
| | सम्पूर्ण योग (रू0) | 50,35,733.00 |

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर 0.4395हे0 अर्जित भूमिकी प्रतिकर धनराशि रू0 30,76,500.00 व परिसम्पत्ति का मूल्यांकन रू0 15,01,439.00 कुल रू0 45,77,939.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रू0 4,57,794.00 रुपये देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 50,35,733.00 रुपये (मु0 पचासलाख पैतीसहजार सात सौ तैंतीस रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय- कुल अभिनिर्णीत धनराशि रू0 50,35,733.00 पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रू0 5,03,573.00 रुपये अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू राजस्व-800 अन्य प्राप्तियों 007-भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

पूंजीकृत मूल्य- अर्जित भूमि के भू-राजस्व रू0 14.44 का 40 गुना रू0 577.60 या 578 रुपये (मु0 पाँच सौ अठहत्तर रुपये मात्र) अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर0.4395हे0 भूमि की रूपये 14.44 की कमी माल गुजारी की स्वीकृति प्रदान करते हुए अभिनिर्णय रु050,35,733.00रूपये(मु0 पचास लाख पैंतीस हजार सात सौ तैंतीस रूपये मात्र)घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र-11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक 24.02.2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(वी0 के0 दोहरे)

सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी
जनपद-सुलतानपुर